

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोइनउद्दीन बनाम लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) सू.अ.अपील संख्या 414 / 2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.01.23</p>	<p>अपीलार्थी मोइनउद्दीन खान निवासी 10-ए, हुसैन कॉलोनी, रामगढ़ मोड़, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2022 में उसके द्वारा (1) 2012-13, 2013-14, 2014-15 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जोधपुर को अल्पसंख्यक वित्तीय विकास सहकार निगम लि. द्वारा दिए गए माइक्रो फाइनेंस ऋण के तहत दिए गए वार्षिक भौतिक व वित्तीय लक्ष्य व उनके विरुद्ध जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जोधपुर द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	